

पत्रांक 341/आयु0क0 / उत्तरा0 / धारा-57 / वा0कर / 2009-10 / दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,  
( धारा-57, अनुभाग )  
दिनांक:: देहरादून:: 11 नवम्बर, 2009


प्रार्थना पत्र सं0 - 6533 / दिनांक 06.11.09  
श्री मन्जीव नोटियाल,  
हाऊस न0-55 चन्द्रशेखर आजाद नगर ।  
पो0ओ0कॉवाली, देहरादून।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 के अन्तर्गत निर्णय।

श्री मन्जीव नोटियाल हाऊस न0-55 चन्द्रशेखर आजाद नगर देहरादून, द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा-57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 6.11.09 प्रस्तुत करते हुए "Roofing Tiles (Khaprail)" पर कर देयता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। आवेदनकर्ता "Roofing Tiles" पर करदेयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है वह उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005, की किसी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। अतः इस पर रैवेन्यू न्यूट्रल रेट (R.N.R.) अर्थात् 12.5 प्रतिशत की दर से प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर करदेयता लागू होगी। इस प्रकार पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

3- आदेश की प्रति आवेदनकर्ता को प्रेषित की जाय।

  
11.11.09

(वी0के0सक्सेना)

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर  
मुख्यालय, देहरादून।

o/c